कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ०प्र०, पौड़ी।

संख्या ख-1950/41-7(1) दिनांक, पौड़ी, मई 13, 1975:

सेवा में,

श्री वीरेन्दकुमार,
प्राजेक्ट लीडर, डिपार्टमेंट आँफ बाटनी,
दिल्ली कालेज, अजमेरी गेट,
दिल्ली- 6:

विषय :- चमोली जिले में जोशीमठ के निकट रैणी वन में वन विभाग द्वारा बेचे गये पेड़ों के कटान के प्रश्न के अध्ययन के लिए राज्यपाल महादय, उत्तर-प्रदेश, द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट ।

संदर्भ :- इस कार्यालय की पत्र संख्या ख- 1166/41-7(18), दिनांक 7-3-75, पत्र संख्या ख- 1788/41-7(1), दिनांक 22-4-75 तथा पत्र संख्या- ख- 1872/41-7(1), दिनांक मई 3, 1975:

xxxx

महोदय,

कृपया उपरोक्त पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करेंगे तथा अपना बहुमूल्य सुझाव भेजने की कृपा करेंगे । शासकीय आदेश संख्या- 1436/14-2-585/74, दिनांक 1-5-75 द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न है) 30 जून, 1975 के पश्चात् और समय किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जा सकता । समिति की रिपोर्ट 30 जून, 1975 तक शासन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अतः आपसे निवेदन है कि बैठक का तिथि शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेन की कृपा करेंगे ।

सं॰ [illegible]

भवदीय,

13/5/75

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल: गढ़वाल वृत: पौड़ी।

संख्या (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि सेवा में, सचिव, वन विभाग उत्तर-प्रदेश शासन लखनऊ को इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या ख- 1872(1)/ दिनांक 3-5-75 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ०प्र०, पौड़ी।

लोहनी/13-5

अत्यन्त आवश्यक

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ०प्र०, पौड़ी।

संख्या ज- 2199 / 41-7(1)   दिनांक, पौड़ी, जून 19, 1975:

सेवा में,

श्री. वीरेन्द्रकुमार,
प्रोजेक्ट लीडिर, डिपार्टमेंट आफ बौटनी,
दिल्ली कालेज, अजमेरी गेट,
दिल्ली- 6:

विषय :- रेणी वन के कटान के अध्ययन हेतु चिपको आन्दोलन समिति की अध्यक्षता।

संदर्भ :- इस कार्यालय की पत्र संख्या- ज- 1566/41-7(1), दिनांक 7-3-75, ज- 1788/41-7(1), दिनांक - 22-4-75, ज- 1872/41-7(1), दिनांक 3-5-1975: एवं ज- 1950/41-7(1), दिनांक - 13-5-1975:

महोदय,

कृपया इस कार्यालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें तथा मामले की महत्ता को ध्यानस्थ करते हुए अपना कीमती सहयोग इस विवाद को सुलझाने में देने की कृपा करें। शासन ने इस ओर पुनः ध्यान आकृष्ठ करवाया है कि मै पुनः आपको अध्यक्षा पद का दायित्व निभाने के लिए अनुस्मारक दूं क्योंकि इस समिति की बैठक के लिए अब उपयुक्त समय जून ही है, उसके बाद अक्टूबर- 1975 में ही यह सम्भव है। शासन ने यह भी जोर दिया है कि आपका उत्तर इस मामले में अत्यन्त अवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि आप कब तक इस बैठक का आयोजन करने के पक्ष में हैं।

आपके उत्तर की प्रतीक्षा में।

भवदीय,

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ०प्र०।

संख्या   (1)/   दिनांकित।

प्रतिलिपि सेवा में, सचिव, वन विभाग, उत्तर- प्रदेश- शासन, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या 3835/14-2-75, दिनांक - 26-5-75, के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ०प्र०।

लोहनी/ 18- 6/

रजिस्टर्ड

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ0 प्र0, पौड़ी ।

संख्या ख-994 / 41-7(1) दिनांक, ~~कैम्प कोटद्वार~~, अक्टूबर 8, 75:

सेवा में,

श्री वीरेन्द्रकुमार,
प्रोजेक्ट लीडर,
डिपार्टमेन्ट आफ बोटनी,
दिल्ली कालेज, अजमेरी गेट,
दिल्ली-6:

विषयः- रेणी वन के कटान के अध्ययन हेतु गठित समिति की शोध आख्या- कार्यवाही ।

सन्दर्भः- इस कार्यालय की अंतिम पत्र संख्या ख-617/41-7(1), दिनांक 1-9-75 तथा अन्य कई स्मृति-पत्र।

महोदय,

पिछले 7 माह से उपरोक्त विषय पर पत्राचार करने के बाद भी आपके स्तर से किसी भी प्रकार प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण शासन के शासकीय आदेश संख्या 3835/14-2-75, दिनांक 26-5-75 के तात्पर्य की पूर्ति नहीं हो पाई। यह भी विचारणीय है कि शासन द्वारा आपको उक्त क्षेत्र में कटान के फलस्वरूप होने वाली प्रक्रिया की शोध हेतु अध्यक्ष बनाया गया है। यदि आप की ओर से ही कोई अनुकरणीय कदम न उठाया गया तो समिति का गठन निरर्थक प्रमाणित होगा ।

अतः शीघ्रातिशीघ्र अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की कृपा करें ।

भवदीय,

8/10/7

(चैनसिंह सौन्दाल)
अरण्यपाल,
गढ़वाल वृत, उ0 प्र0, पौड़ी ।

गोड़/6

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उ0प्र0, पौड़ी

संख्या ख- 2260 / 41-7(1) दिनांक, पौड़ी, मार्च 20, 1976

सेवा में,

श्री विरेन्द्र कुमार,
प्रोजेक्ट लीडर डिपार्टमेन्ट आफ बौटनी,
दिल्ली कालेज, अजमेरी गेट।

विषयः- रेणी वन के कटान के अध्ययन हेतु गठित समिति की शीघ्र कार्यवाही।

संदर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक ख- 1566/41-7(1) दिनांक 7-3-75, ख- 1788/41-7(1) दिनांक 22-4-75, ख- 1872/41-7(1) दिनांक 3-5-75, ख 1950/41-7(1) दिनांक 13-5-75, ख- 2199/41-7(1) दिनांक 19-6-75, ख- 617/41-7(1) दिनांक 1-9-75 तथा ख-994/41-7(1) दिनांक 8-10-75 ।

महोदय,

आपका ध्यान इस कार्यालय के उपरोक्त पत्रो की ओर आकृषित करते हुये मुझे कहना है कि रेणी वन मे वन सम्पदा के विदोहन के फलस्वरूप उत्पन्न '' चिपको आन्दोलन'' की समिति की अध्यक्षता का दायित्व निभाने हेतु तथा अपने विचार व्यक्त करने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था। मुझे विदित हुआ है कि आप कुछ समय के लिये हिन्दुस्तान से बाहर गये थे व अब आप पुनः वापस आगये हैं।

चूंकि उक्त समिति के अभी तक आप ही अध्यक्ष है अतः आपसे अनुरोध है अपने विचारों से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें कि आप किस तिथि पर उक्त समिति की बैठक आयोजित करने के पक्ष मे होगें। यह विचारणीय होगा कि उससे पूर्व समिति के सदस्यो को स्थलीय निरीक्षण के लिये भी समय दिया जाना होगा। तदुपरान्त उप समिति अपने विचार मुख्य समिति के सम्मुख विचार हेतु रखेगी। मुख्य समिति के चूंकि सदस्य काफी दूरस्थ एवं भिन्न, भिन्न संस्थाओं मे कार्यरत है उन्हें बैठक की तिथि सूचित करने के लिये भी समय की आवश्यकता होगी। अतः आपका उत्तर इस विषय मे शीघ्र प्रार्थनीय है कि बैठक का क्या कार्यक्रम है।

भवदीय,

18/3/76

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल
गढ़वाल वृत, उ0प्र0, पौड़ी

संख्या (1)/ उक्तदिनांक

प्रतिलिपि सेवार्थ सचिव वन विभाग उ0प्र0 [illegible] को इस कार्यालय के पत्रांक ख- 1968/41-7(1) दिनांक 13/2/76 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल
गढ़वाल वृत, उ0प्र0, पौड़ी

नौटियाल/ 12-3

कार्यालय अरण्यपाल, गढवाल वृत, उ०प्र०, पौडी

संख्या क-2681 / 41-7(1) दिनाक, पौडी, मई 1 , 1976

सेवामें,

श्री वीरेन्द्र कुमार,
प्रोजेक्ट लीडर
डिपार्टमेन्ट आफ बौट्नी,
दिल्ली कालेज, अजमेरी गेट।
दिल्ली- 6

विषयः- रैणी वन के कटान सम्बन्धी प्रश्न के निमित समिति की बैठक ।

संदर्भः- आपका तार दिनांक 27-4-76

प्रिय महोदय,

आपका तार दिनांक 28-4-76 को प्राप्त हुआ। जिसमे आपने बैठक की तिथिया निश्चित करने को लिखा है । इस प्रकरण में मै यह निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि विषयगत समिति में कोई मंत्री महोदय भी सदस्य हैं । ऐसी स्थिति मे यह वांछनीय हो गया है कि बैठक की तिथिया उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय की जाय। इसके लिये मैंने शासन को अपनी परिस्थिति जन्य रिपोर्ट भेज दी है । शासन के पुष्टिकरण के बाद ही मै बैठक के लिए तिथिया आपको सूचित कर पाऊँगा । बैठक मेरे विचार से जोशीमठ मे ही रखना ठीक रहेगा ।

भवदीय,
ह0 1/5/76
(चैनसिंह सौदाल)
अरण्यपाल
गढवाल वृत्त, उ0प्र0,पौडी

संख्या (1)/ उक्तदिनांक

प्रतिलिपि सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को इस कार्यालय के पत्र संख्या क-2680 / 41-7(1) दिनाक 1-5-76 के क्रम मे भेजकर निवेदन है कि इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र के अन्तिम परिछेद पर पुष्टिकरण आदेश शीघ्र निर्गत करवाने की कृपा की जाय ।

(चैनसिंह सौदाल)
अरण्यपाल
गढवाल वृत्त, उ0प्र0,पौडी

नौटियाल/ 1-5

संख्या /41-7(1)

प्रेषक,

चैनसिंह चौहान,
अरण्यपाल गढ़वाल,
एवं सदस्य/सचिव,
चिपको आन्दोलन समिति।

सेवामें,

....

....

....

....

दिनांक, पौड़ी, सितम्बर, 15,76

विषयः- रेणी वन के कटान सम्बन्धी प्रश्न के निमित्त समिति की बैठक।

प्रिय महोदय,

रेणी वन के कटान सम्बन्धी प्रश्न के हल के लिए शासनादेश संख्या-2287/14-2-585/74 दिनांक 9-5-74 द्वारा गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक, 12, 13 तथा 14 अक्टूबर 1976 तथा 15 अक्टूबर 1976 निर्धारित की गई है। आपसे सानुरोध आग्रह है कि आप दिनांक   को उक्त उपसमिति/समिति की बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

2- दिनांक 12, 13 तथा 14 अक्टूबर को उपसमिति द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण किया जायेगा तथा रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा दिनांक 15-10-76 को मुख्य समिति की बैठक जोशीमठ वन विश्राम भवन के प्रांगण में होगी।

3- निवेदन है कि क्षेत्रीय निरीक्षण के लिए जोशीमठ वन विश्राम गृह में दिनांक 12-10-76 के 11 बजे आने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चैनसिंह चौहान)
अरण्यपाल
गढ़वाल वृत्त, उ०प्र०, पौड़ी

संख्या ख-775 (1)/41-7-1 उक्तदिनांक

प्रतिलिपि श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रोजेक्ट लीडर अध्ययन ''चिपको आन्दोलन'' डिपार्टमेन्ट आफ बाटनी देहली कालेज अजमेरी गेट दिल्ली-6 को इस कार्यालय के पत्र संख्या-ख-774 /41-7(1) दिनांक 15-9-76 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

15/9/76
(चैनसिंह चौहान)
अरण्यपाल
गढ़वाल वृत्त, उ०प्र०, पौड़ी

संख्या (11)/ उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ एवं एस०डी०ओ० जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित। आवास व्यवस्था वन विश्राम भवन समिति/उपसमिति के समस्त सदस्यों के लिए करनी है।

(चैनसिंह चौहान)
अरण्यपाल
गढ़वाल वृत्त, उ०प्र०, पौड़ी

नौटियाल/-

// रजिस्टर्ड ए० डी० //

कार्यालय अरण्यपाल, गढ़वाल वृत, उत्तर-प्रदेश, पौड़ी।

संख्या ख-774/41-7-(1) दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 15, 1976

सेवा में,

श्री बीरेन्द्र कुमार,
प्रोजेक्ट लीडर,
डिपार्टमेन्ट आफ वाटनी,
दिल्ली कालिज, अजमेरी गेट,
दिल्ली।

विषय:- रेणीवन कटान के प्रश्न के निमित्त समिति की बैठकें।

संदर्भ:- इस कार्यालय की पत्र सं० ख- 682/41-7-(1), दिनांक 3-8-76 तथा अधोहस्ताक्षरी से जोशीमठ में विचार विमर्श।

महोदय,

उक्त संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समिति का कार्य काल अब केवल अक्टूबर का महीना है, अच्छा होगा यदि इस विषय में शीघ्र बैठक आयोजित की जाय। अभी तक समिति ने कुछ भी उपलब्धि गठन के वाद से शासन को नहीं भेजी है।

2- जोशीमठ में आपके परामर्श के वाद निम्नांकित तिथियां इस कार्य के लिये निश्चित की जा रही हैं:-

12, 13 तथा 14 अक्टूबर- 76-	उप समिति द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण तथा उपलब्धि रिपोर्ट प्रेषित करना।
15 अक्टूबर- 1976 -	मुख्य समिति की बैठक जोशीमठ वन विश्राम भवन प्रांगण में।

मैं सम्बन्धित सदस्यों को भी तदनुसार सूचित कर रहा हूं। कृपया इन तिथियों का पुष्टिकरण करने की कृपा करें।

भवदीय,

ह० 15/9/76

(चैनसिंह सोन्दाल)
अरण्यपाल,
गढ़वाल वृत, उत्तर-प्रदेश, पौड़ी।

रजिस्टर्ड पत्र

कार्यालय अरण्यपाल, गढवाल वृत्त, उ०प्र०, पौडी

संख्या ख-682/41-7-(1) दिनांक, पौडी, सितम्बर-3, 1976

सेवामें,

श्री वीरेन्द्र कुमार,
प्रोजेक्ट लीडर
डिपार्टमेन्ट आफ बाटनी,
दिल्ली कालिज, अजमेरी गेट
दिल्ली-6

विषयः- रैणी वन के कटान सम्बन्धी प्रश्न के निमित्त समिति की बैठक।

संदर्भः- इस कार्यालय की पत्र संख्या ख-2681/41-7(1) दिनांक 1-5-76

प्रिय महोदय,

उपरोक्त वर्णित पत्र के क्रम में मुझे आपसे अनुरोध करना है कि चूंकि शासन ने शासनादेश संख्या 3684/14-2/585/74 दिनांक 7-8-76 के द्वारा विषयगत मामले में गठित समिति का कार्यकाल 30 जून 1975 के अतिक्रमण में अब दिनांक 31-10-1976 तक बढा दिया है, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि चूंकि अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-9-76 से 7-10-76 के बीच उपलब्ध नहीं होंगे, इस लिए इस बैठक की तिथि, यदि 15-10-76 से 31-10-76 के बीच कभी भी निश्चित कर दी जाय तो ठीक रहेगा।

2- शासनादेश संख्या 3684/14-2-585/74 दिनांक 7-8-76 की प्रति शायद आपको प्राप्त हो गई होगी। फिर भी एक प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न की जाती है। निश्चित की गई तिथि से मुझे अविलम्ब अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नः- एक पत्र

भवदीय,

(चैनसिंह सौंदाल)
अरण्यपाल
गढवाल वृत्त, उ०प्र०, पौडी

नौटियाल/30-8